भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 99.

22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
सैनिक अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति

99. **श्री राम कृपाल यादवः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आजकल नकली दवाएं बाजार में खुले रूप से उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैन्य अस्पतालों तक में भी नकली दवाओं की आपूर्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क): जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में अनुपालन की गई क्रियाविधि के अनुसार उनके द्वारा अधिप्राप्त औषधियों और उपभोज्यों की गुणवत्ता रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा आश्वस्त की जाती है जो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में पंजीकृत है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं द्वारा अधिप्राप्त सभी औषधियों को यादृच्छिक नमूने परीक्षण के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं। यदि कोई नमूना दोषपूर्ण पाया जाता है तब संपूर्ण बैच को, चाहे वह सुपुर्दगी, डिपो में या अस्पताल में हो, अस्वीकृत कर दिया जाता है और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में कहीं भी उसका उपयोग नहीं किया जाता है। विषैली/दोषपूर्ण पाए जाने वाली औषधियों की संपूर्ण लागत संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से वसूल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसलिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में अनुपालन की गई प्रापण प्रणाली मे ंजांच करने का प्रावधान है ताकि सैनिक अस्पतालों में नकली औषधियों की आपूर्ति न हो सके।

****